सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की एकादश बैठक दिनाँक 14 अक्टूबर, 2017 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की एकादश् बैठक दिनाँक 14 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे कुलपति सभाकक्ष, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी :–

1. प्रो0 गया प्रसाद, कुलपति, — अध्यक्ष
2. श्रीमती संगीता राहुल, सामाजिक महिला कार्यकत्री — सदस्य
3. श्री सुशील कुमार अग्निहोत्री, संयुक्त निदेशक, कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ।
   (प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि) — सदस्य
4. डा0 अरूणेन्द्र सिंह राणा, संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) — सदस्य
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ
   (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि) — सदस्य
6. श्री अवध नारायण, वित्त नियन्त्रक — सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

प्रस्ताव संख्या 11.1: वित्त समिति की दशम् बैठक दिनाँक 18 मार्च, 2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 18 मार्च, 2017 को सम्पन्न दशम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

(हस्ताक्षर)
अवध नारायण
वित्त नियंत्रक

(हस्ताक्षर) G. Prasad
डा० गया प्रसाद
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ. वि. वि. मेरठ

प्रस्ताव संख्या 11.2: वित्त समिति की दशम् बैठक दिनाँक 18 मार्च, 2017 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा दशम् बैठक दिनांक 18 मार्च, 2017 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। साथ ही मा0 कुलपति जी एवं समिति के समस्त सदस्यों द्वारा असमायोजित अग्रिमों के समायोजन प्राथमिकता के आधार पर निस्पादित करने एवं विश्वविद्यालय की लम्बित आडिट आपत्तियों का निस्तारण भी शीघ्र करने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 11.3: माह–अगस्त, 2017 का वेतन भुगतान शिक्षण लेखा शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध विगत वर्षों की बचत से किया जाना।

उ0प्र0 शासन द्वारा वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु धनराशि रू0 26.80 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है। परन्तु उक्त धनराशि वेतन भुगतान के लिये पर्याप्त नहीं है तथा अतिरिक्त धनराशि के भुगतान हेतु उ0प्र0 शासन को समय–समय पर प्रस्ताव भेजे गये। कृपया विश्वविद्यालय कुछ शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के वेतन माह–अगस्त, 2017 के वेतन भुगतान हेतु धनराशि रू0 110 लाख की सीमा तक शिक्षण लेखा शीर्ष से स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। वेतन मद में अतिरिक्त मांग हेतु उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 11.4: कैरियर एडवांसमैंट स्कीम के अन्तर्गत शिक्षकों को बकाया अनुमानित धनराशि रू0 84.00 लाख का भुगतान शिक्षण लेखा शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध विगत वर्षों की बचत से किया जाना।

विश्वविद्यालय शिक्षकों को कैरियर एडवांसमैंट स्कीम के अन्तर्गत बकाया अनुमानित धनराशि रू0 84.00 लाख की सीमा तक

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक

B. Prasad
डा० गया प्रसाद
कुलपति

शिक्षण लेखा शीर्ष से वहन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस मद में अतिरिक्त मांग हेतु उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 11.5: भूदृश्य एवं उद्यान उपसंभाग के बजट को विश्वविद्यालय के शिक्षण लेखा शीर्ष से व्यय हेतु प्रस्ताव।

भूदृश्य एवं उद्यान उपसंभाग के बजट को वर्तमान में विश्वविद्यालय के फार्म बजट से व्यय किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि भूदृश्य एवं उद्यान उपसंभाग से सम्बन्धित कार्यों हेतु फार्म बजट में विद्यमान धनराशि से भुगतान किया जाये एवं फार्म बजट में धनराशि न होने की स्थिति में ही शिक्षण मद से भुगतान किये जाने की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक/विभागाध्यक्ष, उद्यान)

प्रस्ताव संख्या 11.6: कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में निदेशकगण, अधिष्ठातागण एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारियों की भांति अनुसंधान केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों तथा जनसूचना अधिकारी को वित्तीय अधिकार प्रानिधानित करने के सम्बन्ध में।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में निदेशकगण, अधिष्ठातागण एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारियों की भांति जनसूचना अधिकारी को वित्तीय अधिकार प्रानिधानित करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद की 27वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में वित्त नियन्त्रक कार्यालय के पत्र संख्या सवप/2014/वि0नि0/2369 दिनांक 29 जुलाई, 2014 के माध्यम से निदेशकगण, अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्षों एवं विभिन्न प्रभारी

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक

डा0 गया प्रसाद
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ. वि. वि. मेरठ

अधिकारियों की भांति विश्वविद्यालय के जनसूचना अधिकारी एवं विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों को भी वित्तीय अधिकार प्रानिधानित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 11.7: कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की वित्त समिति एवं मा0 प्रबन्ध परिषद की सदस्या श्रीमती संगीता राहुल के पत्र एवं दिनांक शून्य द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य कराये जाने के हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रस्ताव पर उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 11.8: विद्वत परिषद की 62वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

वित्त समिति द्वारा विद्वत परिषद की 62वीं बैठक दिनाँक 06 सितम्बर, 2017 की संस्तुतियों को अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाईः–कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 11.9: कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिको द्वारा प्राईवेट कम्पनियों के रसायन/फर्टीलाईजर/प्रजाति/हाईब्रिड प्रजाति के परीक्षण आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय शुल्क के अतिरिक्त परीक्षण करने में लगने वाले इन्पुट का व्यय तथा मानव संसाधनों का व्यय के सम्बन्ध में।

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक

G. Prasad
डा० गया प्रसाद
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ. वि. वि. मेरठ

कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिको द्वारा प्राईवेट कम्पनियों के रसायन/फर्टीलाईजर/प्रजाति/हाईब्रिड प्रजाति के परीक्षण आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय शुल्क के अतिरिक्त परीक्षण करने में लगने वाले इन्पुट का व्यय तथा मानव संसाधनों का व्यय के निर्धारण के सम्बन्ध में निदेशक शोध के पत्र संख्या सवप/2017/शोध/1883 दिनांक 28 सितम्बर, 2017 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को समिति द्वारा संस्तुति प्रदान करते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

(कार्रवाईः–निदेशक, अनुसंधान केन्द्र)

प्रस्ताव संख्या 11.10: कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में कार्यालय में समय से पूर्व, कार्यालय समय के उपरन्त एवं अवकाश दिवसों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिये जाने के सम्बन्ध में।

कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय एवं वित्त नियन्त्रक कार्यालयों में समय से पूर्व, कार्यालय समय के उपरान्त एवं अवकाश दिवसों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त तीनों कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वार्षिक मानदेय रू0 4000/– की सीमा तक निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 11.11: विश्वधिालय के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ता नामित करने तथा विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक निर्धारण के सम्बन्ध में।

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक

डा0 गया प्रसाद
कुलपति
स.व.प.कृषि एव प्रौ. वि. वि. मेरठ

वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ता नामित करने तथा विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक के निर्धारण के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित विधिक फीस की जांच करते हुए प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(कार्रवाईः अध्यक्ष, विधिक समिति)

प्रस्ताव संख्या–11.12 विश्वविद्यालय में अधिकारियों को वाहन भत्तें एवं मोबाईल भत्तें अनुमन्य कराने हेतु प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के शोध निदेशालय के पत्र संख्या सवप/2017 /शोध/1900 दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा विश्वविद्यालय में अधिकारियों को वाहन भत्तें एवं मोबाईल भत्तें अनुमन्य कराने हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा सम्बन्धित प्रस्ताव में उल्लेखित दरों में संशोधन करते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	अधिकारी का विवरण	प्रस्तावित वाहन भत्ता (रू0 प्रतिमाह) जिन्हें वाहन उपलब्ध नही कराये गये है	प्रस्तावित मोबाईल भत्ता (रू0 प्रतिमाह)
01	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण एवं पशुपालन चिकित्सा विज्ञान।	2000.00	300.00
02	अधिष्ठाता, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी एवं स्नातकोत्तर	2000.00	300.00
03	निदेशक प्लेसमेन्ट	––	300.00
04	प्रभारी अधिकारी, भूदृश्य एवं उद्यान उपसंभाग	––	300.00
05	प्रभारी अधिकारी पुराना परिसर	––	300.00
06	सहायक निदेशक, सी0आर0सी0, एच0आर0सी0 एवं एल0आर0सी0	2000.00	300.00
07	सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (खेलकूद)	––	300.00
08	सहायक निदेशक (फार्म)	2000.00	300.00
09	निदेशक शोध एवं प्रसार	––	300.00
10	महाप्रबन्धक (फार्म)	––	300.00

(कार्रवाईः निदेशक, अनुसंधान केन्द्र/वित्त नियन्त्रक)

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डॉ० गया प्रसाद
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ. वि. वि. मेरठ

प्रस्ताव संख्या 11.13: मा0 कुलपति जी की अनुमति से अन्य बिन्दुः—

अन्त में सचिव वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(अवध नारायण)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, वित्त समिति

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अनुमोदित

(प्रो0 गया प्रसाद)
कुलपति/अध्यक्ष

डा० गया प्रसाद
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ. वि. वि. मेरठ